



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ।

(सिन नं०-UP3201UP1999SGC024928)

संख्या-2145-स०प्र०-11/पाकालि/2016-10(11)स०प्र०/81 दिनांक ०८ अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा, कम्प्यूटर सहायकों की "अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची (Tentative inter-se-seniority list) निम्नवत घोषित की जाती हैं:-

क्र.सं.	नाम
1.	श्री अमित गौतम (अनुसूचित जाति)
2.	श्री आशीष श्रीवास्तव (सामान्य श्रेणी)
3.	श्री आशीष तिवारी (सामान्य श्रेणी)
4.	श्रीमती रेनू रावत (अनुसूचित जाति)
5.	श्री धर्मेन्द्र (सामान्य श्रेणी)
6.	श्री कीर्ति कमल बाजपेयी (सामान्य श्रेणी)
7.	श्री अनिल कुमार पाण्डेय (सामान्य श्रेणी)
8.	श्री सौरभ श्रीवास्तव (सामान्य श्रेणी)
9.	श्रीमती ज्योति सिंह (सामान्य श्रेणी)
10.	श्री विष्णु कुमार पाण्डेय (सामान्य श्रेणी)
11.	श्री शशांक कुमार नाथ (अनुसूचित जाति)

उपरोक्तानुसार ज्येष्ठता के विरुद्ध विलम्बतम दिनांक 15.08.2016 तक प्रत्यावेदन स्वीकार्य होंगे, जिन पर विचारोपरान्त ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

(क्रमशः.....2)

KLakl



संख्या : 2145(1)-स0प्र0-11/पाकालि/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-405, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

Hemant
01/01/16
(हेमन्त सिंह भण्डारी)
अनु सचिव (स0प्र0)

प्रतिलिपि : नोटिस बोर्ड।

कार्यवाही के लिए	1
निर्देशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)	2
अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)	3
अधिशासी अभियन्ता (वेब)	4
समस्त अधिकारी	5
सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल	6
निर्देशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)	7
अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)	8
अधिशासी अभियन्ता (वेब)	9
समस्त अधिकारी	10
सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल	11

नियम 10 के अन्तर्गत

नियम 10 के अन्तर्गत

(नियम 10 के अन्तर्गत)

(नियम 10 के अन्तर्गत)